PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28th *January,* 2017

No: Mudran (B)4-1/2002.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Rajinder Kumar, Assistant Controller (Printing), (Class-I, Gazetted) in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh shall retire from Government Service on attaining the age of Superannuation with effect from 31-10-2017 (A.N).

By order,
NISHA SINGH,
Principal Secretary (P&S).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 फरवरी, 2017

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–1 / 2017–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31–01–2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2017 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 है।

2. नई धारा 42क का अन्तःस्थापन.––हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

''42क. राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले वादों, अपीलों, पुनरीक्षण आदि से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध.–इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या इसके अधिकारियों द्वारा उनकी शासकीय हैसियत से किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन दायर किया जाता है या अन्य अभिवचन या दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य अभिवचनों या दस्तावेजों की बाबत कोई न्यायालय फीस प्रभार्य नहीं होगी ।''।

(आचार्य देवव्रत)
राज्यपाल।

(डा0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारिख : 31–01–2017.

———

AUTHORIATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 1 of 2017.

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2017.

2. Insertion of new section 42A.—After section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following new section shall be inserted, namely:-

"42A. Special provision regarding suits, appeals, revision etc. filed by or on behalf of the State Government before the Court.-Notwithstanding anything contained in any other

provisions of this Act, where a suit, appeal, revision, review or other pleadings or documents is filed or presented by or on behalf of the State Government or its officers in their official capacity before any Court, no court fee shall be chargeable in respect of such suit, appeal, revision, review or other pleadings or documents under the provisions of this Act.".

(ACHARYA DEVVRAT)
Governor.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
Dated……., 2017.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

किस्म : मुकद्दमा तकसीम तारीख पेशी : 08–02–2017

1. सन्तोष सिंह पुत्र किरपा, 2. ओम प्रकाश उपनाम चरण दास, 3. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 4. मदन लाल पुत्र होशियार सिंह, 5. रतन चन्द पुत्र दिवाना, 6. चतर सिंह पुत्र दिवाना, 7. चौकस राम पुत्र दिवाना, 8. मिलाप चन्द पुत्र दिवाना, 9. राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 10. द्रमिन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 11. सोहन सिंह पुत्र आत्मा राम, 12. सुनील कुमार पुत्र आत्मा राम, 13. माया देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, 14. अमर सिंह पुत्र मखोली, 15. गुरनाम सिंह पुत्र हरि सिंह, 16. गुरपाल सिंह पुत्र हरि सिंह, 17. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 18. मोहन सिंह पुत्र हरि सिंह, 19. राविन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 20. हरनिरा देवी पत्नी स्व0 श्री हरि सिंह, 21. रछ पाल सिंह पुत्र परस राम, 22. अनिल सिंह पुत्र परस राम, 23. तरसेम सिंह पुत्र परस राम, 24. कर्ण सिंह पुत्र सुजू, 25. सुरज अक्ष पुत्र पुन्नू राम, 26. कमला देवी पत्नी स्व0 पुन्नू राम, 27. सतीश कुमार पुत्र निकू राम, 28. सन्नी कुमार पुत्र निकू राम, 29. प्रेमो देवी पत्नी स्व0 निकू राम, 30. किशन चन्द, 31. जोगिन्द्र सिंह, 32. शिव चरण पुत्र भगत, 33. तिमरो देवी पुत्री भगत, 34. संसार चन्द पुत्र दिगती, 35. राजमल पुत्र दिगती, 36. प्रशोतम चन्द पुत्र दिगती, 37. शम्मी कुमार पुत्र जैसी, 38. रानी देवी पत्नी स्व0 श्री जैसी राम, 39. वदरी पुत्र धनी राम, 40. भीम सैन पुत्र धनी राम, 41. हरिया पुत्र राम दास, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ..... प्रार्थी।

बनाम

1. इच्छया देवी पुत्री प्रीतम, 2. निशा देवी पुत्री प्रीतम, 3. सन्तोष कुमारी पुत्री हरि सिंह, 4. ममता देवी पुत्री पुन्नू राम, 5. विमला देवी पुत्री भगत, 6. अनिता देवी पुत्री जैसी, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, 7. शुभकरण पुत्र दशोनधी पुत्र होडी, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ..... प्रतिवादीगण।

नोटिस इश्तहार :

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 45, खतौनी नं0 174 से 183 खसरा कित्ता 23, रकबा 0–64–26 है0 वाकया उपमहाल धर्मकोट, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादिगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।